न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 160/2021 **दायर दिनांकः 17.03.2021**

उनवान

1. हरिबल्लभ आयु 63 वर्ष पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भंवरलाल आयु 70 वर्ष पुत्र बिरधा जाति धाकड़।

2. राजेन्द्र कुमार आयु 51 वर्ष पुत्र बिरधा जाति धाकड़

3. लाड़ बाई आयु 48 वर्ष पत्नि ओंकारलाल जाति धाकड़ निवासीगण काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

आदेश दिनाकः 13/01/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते की आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार मण्डल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 161 का ख0नं0 1043 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 584/1118 का रकबा 0.07 है0, खं नं. 585 का रकबा 0.12 है0, ख. न. 586 का रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 सगे भाई है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का 1/3, 1/3, 1/3 दर्ज खाता स्थित है। उकत आराजी का पारिवारिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिताजी ने उनके जीवनकाल में कर दिया था। पारिवारिक बंटवारे में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में ख0नं0

584/1118 का रकबा 0.07 है0, खं नं. 585 का रकबा 0.12 है0, ख. न. 586 का रकबा 0.17 है0 आया था जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त था तथा ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है0 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 काबिज काश्त है। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना हिस्सा 1/3 का बेचान प्रतिवादी क्रम 3 लाड़ बाई को जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 16.06.2021 को कर दिया है। बेचान नामा की प्रति संलग्न है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि ख0नं0 1043 में ट्यूबवेल लगवा रखी है तथा वर्तमान में फसल सोयाबीन बो रखी है तथा अपने पिता के समय से काबिज काश्त करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी क्रम 3 प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी को नहीं लेकर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से में आई आराजी ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है0 में जबरन कब्जा करने पर आमादा है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का शामलाती खाता होने की वजह से आये दिन कृषि कार्य करवाने, बैंक से ऋण लेने तथा अन्य का के लिए वादी एवं प्रतिवादीगण को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पडता है। इस कारण वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का हिस्से एवं कब्जे अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादी से स्पष्ट मना कर दिया और लडाई झगडा पर आमादा हुये तथा प्रतिवादी क्रम 3 वादी के हिस्से की आराजी ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है0 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए यह वाद पेश किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायलय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर पारिवारिक विभाजन एवं कब्जे काश्त के अनुसार वादी का हिस्सा पृथक से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज करवाया जाना तथा प्रतिवादी क्रम 3 को वादी के हिस्से व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा करने से रोका जाना संभव नहीं है। यदि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर आराजी हिस्से अनुसार (कब्जे अनुसार) वादी के पृथक से खाता खाते दर्ज नहीं की गई तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाकर कब्जे काश्त के अनुसार अपने खाते पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रम 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे एवं हिस्से की आराजी ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है0 में 1/2 हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करें, न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथ जहां तक कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन नहीं हो जाता वहां तक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बेचान की गई आराजी का इन्तकाल नहीं खोला जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 05.08.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने का निवेदन करने पर एवं उनके द्वारा खाता विभाजन की

स्पष्ट मना करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20.08.2021 को प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा वादी के कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम काचरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद विभाजन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 4 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः श्रीमान की सेवा में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का हिस्से एवं कब्जे अनुसार खाता विभाजन कर वादी का हिस्सा ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है0 में 1/2 पृथक से वादी के खाते दर्ज की जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे व हिस्से की आराजी ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है0 में 1/2 पर जबरन कब्जा नहीं करे।

(स) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन नही हो जाता तब तक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बेचान की गई आराजी का इन्तकाल नही खोला जावे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि हरिबल्लभ का ख0नं0 1043 की 0.75 है0 में से हिस्सा 1/2 वादी के खाते दर्ज कर दी जावे कयोंकि वादी का ख0नं0 1043 का रकबा 0.75 है में से हिस्सा 1/2 काचरा मेन रोड की तरफ का वादी के दर्ज कर दिया जावे एवं प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल के ख0नं. 584/1118 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586 का रकबा 0.17 है0

भंवरलाल के दर्ज कर दिया जावे जिस में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 के किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुताबिक राजीनाम वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 के अलग–अलग खाते दर्ज करने की कृपा करे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादी की पहचान श्री सुरेश कुमार शर्मा एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मेरमाचाह में तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल काचरा पटवार मण्डल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 161 का ख0नं0 1043 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 584/1118 का रकबा 0.07 है0, खं नं. 585 का रकबा 0.12 है0, ख. न. 586 का रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है0 उक्त भूमि वादी एवं प्रति0 क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज है। भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जन्म से अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से हिस्सा व कब्जे अनुसार अनुतोष चाहा गया है। न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 161 के ख0नं0 1043 की 0.75 है0 में से हिस्सा 1/2 काचरा मेन रोड की तरफ की आराजी वादी हरिबल्लभ के एवं ख0नं0 1043 रकबा 0.75 है0 में से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार के तथा ख0नं. 584/1118 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586 का रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल के खाते दर्ज करने के आदेश किये जाते है। रहन का नोट संबंधित खातेदार के दर्ज किया जावे।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 160/2021

उनवान

1. हरिबल्लभ आयु 63 वर्ष पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0। **वादी**

बनाम

1. भंवरलाल आयु 70 वर्ष पुत्र बिरधा जाति धाकड़।

2. राजेन्द्र कुमार आयु 51 वर्ष पुत्र बिरधा जाति धाकड़

3. लाड़ बाई आयु 48 वर्ष पत्नि ओंकारलाल जाति धाकड़ निवासीगण काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां। **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 161 के ख0नं0 1043 की 0.75 है0 में से हिस्सा 1/2 काचरा मेन रोड की तरफ की आराजी वादी हरिबल्लभ के एवं ख0नं0 1043 रकबा 0.75 है0 में से हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार के तथा ख0नं. 584/1118 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 586 का रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल के खाते दर्ज करने के आदेश किये जाते है। रहन का नोट संबंधित खातेदार के दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.01.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)